भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 68 /2010

PC-VI No. 208

No. E(P&A)I-2010/PS-5/PE-2

New Delhi, Dated: 10.05,2010

The General Manager, South Central Railway. Secunderabad.

> Sub: Revision of pay scales of teachers in the Railway Degree College, Secunderabad and other measures for maintenance of standards in higher education.

> > ******

The President is pleased to decide that the pay scales of the teachers and other academic staff working in the Railway Degree College, Secunderabad may be revised w.e.f. 01.01.2006 as contained in Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education's letter No. 1-32/2006-U.II/U.I(i) dt. 31.12.2008, a copy of which is enclosed. A copy of letter No.F.3-1/2009.U.I dated 4.6.2009 received from the Ministry of HRD addressed to the Secretary U.G.C. containing Fitment Tables for the purpose of fixation of pay (Table No.1to 9) is also enclosed.

- 2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
- Kindly acknowledge receipt of this communication and report compliance of these orders expeditiously.

DA: As above

(Chander Parkash) Joint Director Estt. (P&A),

Railway Board

No. E(P&A)I-2010/PS-5/PE-2

New Delhi, Dated:

\ ∩ .05.2010

Copy to:

1. The Principal Director of Audit, South Central Railway, Secunderabad.

2. The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 222 Rail Bhawan, New Delhi(with 40 spares).

for Figaricial Commissioner/Railways.

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 68/2010 पी सी-VI सं. 205

सं. ई (पी एंड ए)I-2010/पीएस-5/पीई-2

नई दिल्ली, दिनांक: 10.05.2010

महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद।

> विषयः रेलवे डिग्री कॉलेज, सिकन्दराबाद में अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन तथा उच्च शिक्षा में मानदंडों को बनाए रखने के अन्य मापदंड।

> > ****

राष्ट्रपति जी ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि रेलवे डिग्री कॉलेज, सिकन्दराबाद में कार्यरत अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतनमान 01.01.2006 से संशोधित किए जाएं जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के दिनांक 31.12.2008 के पत्र सं.1-32/2006-यू.II/यू.I(आई) में अंतर्विष्ट है, जिसकी एक प्रति संलग्न है। सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संबोधित मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 04.06.2009 के पत्र सं. एफ.3-1/2009 यू.आई की प्रति भी संलग्न है जिसमें वेतन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए फिटमेंट टेबल (टेबल नं. 1 से 9) दी गई हैं।

- 2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमित से जारी किया जा रहा है।
- 3. कृपया इस पत्र की पावती तथा इन आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट शीघ्र दें।

संलग्नः यथोक्त।

्याकाश) (चंद्र प्रकाश)

संयुक्त निदेशक स्था.(पी एंड ए)

रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए)1-2010/पीएस-5/पीई-2

नई दिल्ली, दिनांक: 10.05.2010

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. महालेखा परीक्षक, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद।

2. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

प्रभिन्धित्याम कृते वित्त आयुक्त, रेलें

क्रमशः....